झारखंड सरकार

जल संसाधन विभाग।

आदेश सं॰– 8/ज॰स॰ (नि॰) विविध–15–04/2014 (खण्ड):– /राँची, दिनांकः–

आदेश

श्री निर्मल कुमार तिवारी (आई॰ डी॰– J 4812) सहायक अभियंता, की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुए विभागीय अधिसूचना सं॰ 3546 दिनांक 29.06.13 द्वारा नहर अवर प्रमण्डल, गोला (जल पथ प्रमण्डल, हजारीबाग) में पदस्थापित किया गया था। श्री तिवारी द्वारा सरकारी/ स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन ससमय नहीं किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक 2714 दिनांक 27.03.14 द्वारा कारण पृच्छा की गई।

2. श्री तिवारी से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई सम्यक समीक्षोपरांत श्री तिवारी को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया :–

(I) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

3. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

अतएव एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/–

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 1741 / राँची, दिनांकः–13-4-15

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/ कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, रांची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/ संयुक्त सचिव (प्र॰) जल संसाधन विभाग, रांची/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमंडल, हजारीबाग/श्री निर्मल कुमार तिवारी, सहायक अभियंता, नहर अवर प्रमण्डल, गोला (जल पथ प्रमण्डल, हजारीबाग)/ विभागीय वेब मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.4.15

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव।

13.4.15